



संख्या 1201 / नि०प्रा०-5 / 2015-16 / वा०नि०-1-मेरठ

दिनांक 10-5-2016

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

डायरेक्टर,
 मैसर्स वी०डी०वी० इन्फ्रावेन्चर्स प्रा०लि०
 द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, गढ़ रोड, अपोजिट वैशाली कालोनी,
 मेरठ।

विषय :- खसरा संख्या-242, ग्राम सराय काजी, जागृति विहार यो०सं०-11 (विस्तार) हेतु मेरठ ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में 15 मी० से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों के मानचित्रों पर स्वीकृति हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15-01-2016 को सम्पन्न हुई जिसमें आपके प्रकरण पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक के यथा अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 10-03-2016 के अनुसार आपके मानचित्र को समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में समिति के निर्णयानुसार एतद्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन निर्माण की अनुमति निर्गत की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष होगी। दिनांक 10-5-16 से 9-5-2021 तक
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयवृद्धि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
6. रजिस्ट्री के समय मानचित्र में प्रस्तावित किसी भी फ्लैट का सब-डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा तथा वर्तमान मानचित्र में कुल 98 नग फ्लैट का निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
7. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 14600.07 वर्गमी० (जिसमें नान-एफ०ए०आर० क्षेत्र भी सम्मिलित है) के लिये 4047.04 वर्गमी० भूखण्ड पर प्रदान की गयी है, स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. यह स्वीकृति डबल बेसमेन्ट, स्टिल्ट+10 तलों एवं ममटी (2बी+एस+10तल एव ममटी) हेतु प्रदान की गयी है।
9. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेंगे जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
10. विजिटर्स पार्किंग का प्राविधान भूखण्ड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखण्ड परिसर के अन्दर ही करना होगा।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा जिससे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम पता अंकित होना अनिवार्य है।
12. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
13. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो रहे क्रियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को राकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड पर 50 पेड़/हैक्टे० की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।


17. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं० 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ०बा०) दिनांक-3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ०-भूकम्परोधी/2001/(आ०बा०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तों, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
18. उप निदेशक, फायर सर्विसेज, मेरठ परिक्षेत्र ने अपने पत्र संख्या-भ०-18/डी०डी०/फा०स०/मेरठ-15/मेरठ/1211 दिनांक 17-12-2015 के द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उपनिदेशक उ०प्र० फायर सर्विसेज, मेरठ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
19. आवंटी द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। निर्धारित समयवधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
20. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
21. आवास आयुक्त (म०) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15-01-2016 में लिये गये निर्णयान्तर्गत विद्युत, जल एवं सीवरेज सम्बन्धी आवश्यकताओं यथा ट्रान्सफार्मर/ओवर हेड टैंक/एस०टी०पी० आदि की व्यवस्था/प्राविधान आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
22. आवंटी द्वारा कय योग्य एफ०ए०आर० शुल्क की किशतों के सापेक्ष सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, मेरठ द्वारा पत्रांक 1771 दिनांक 06-5-2016 के माध्यम से निर्गत बन्धक पत्र में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना होगा।

सलंगनकः उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट-(13 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक सेट -(02 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सेट -(120 नग पृष्ठ)
4. उप निदेशक, फायर सर्विसेज मेरठ से अनुमोदित मानचित्र/एन०ओ०सी० की प्रति। -(13 नग शीट्स)




(श्याम जतन यादव)

 वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांक: 10/5/2016.

पृ.सं०:- 1201 / उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रारूप-ब के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ को उपरोक्त शर्त सं०-22 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से कि आवंटी द्वारा कय योग्य एफ०ए०आर० की किशतों का भुगतान किये जाने के संदर्भ में बन्धक पत्र सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उप निदेशक फायर सर्विसेज मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को प्रपत्र 'च' तथा अग्निशमन सम्बन्धी मानचित्रों के एक सेट सहित।

 वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांक: 10/5/2016



संख्या 2166 /नि0प्रा0-2/2016-17/वा0नि0-1-मेरठ

दिनांक 20/7/16

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मै0 द्वारका स्ट्रक्चर्स प्रा0लि0
 द्वारा श्री मनोज गुप्ता पुत्र स्व0 नेम कुमार गुप्ता
 निवासी-31/38 शीश महल लाला का बाजार,
 मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-47/5, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-47/5, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19-7-2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 20/7/16 से 19/7/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल+2+ममटी तलों हेतु 390.35 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 303.00 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
11. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
12. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
13. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

कमशः—2

14. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
15. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: मानचित्र का एक सेट।



(श्याम जतन यादव)

वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 20/7/2016.

पृ0सं0:- 2166 / उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।



वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी



संख्या 1787/नि0प्रा0-3/2016-17/वा0नि0-1-मेरठ

24/6/16 दिनांक

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री राजीव अग्रवाल पुत्र श्री सुन्दर लाल
निवासी-सी-75, वैशाली कालोनी
मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-43/5, योजना सं0-6, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-43/5, योजना सं0-6, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20-6-2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 24/6/16 से 23/6/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-05, उ0प्रा0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों हेतु 398.52 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 309.60 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। साथ ही पूर्व स्वीकृत मानचित्र क्रमांक 921/नि0प्रा0-233/2012-13/वा0नि0-1 दिनांक 23-11-12 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं0 3751/9-आ0-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।

कमशः--2

16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।



(श्याम जतम यादव)

वास्तुविद नियोजक / विशेषकार्याधिकारी
दिनांक: 24/6/16

पृ0सं0:- ~~24~~ 1787 / उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0 प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।


24/6/16

 वास्तुविद नियोजक / विशेषकार्याधिकारी



संख्या 2287- /नि0प्रा0-09 / 2016-17 / वा0नि0-1

दिनांक 1-8-2017

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मैसर्स रंजना एसोसिएट्स
 द्वारा पंकज गुप्ता
 निवासी-एच-300, शास्त्री नगर
 मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-07 Com-1, सेक्टर-7, जागृति विहार, योजना सं0-6, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-07 Com-1, सेक्टर-7, जागृति विहार, योजना सं0-6, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र के क्रम में निम्नलिखित शर्तों सहित स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 1-8-2017 से 31-7-2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-05, उ0प्रा0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों हेतु 1451.94 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 895.00 वर्ग मी0 भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9-आ0-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तों, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है, जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

कमशः—2

14. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


संलग्नक: 1. आर्कीटैक्चरल मानचित्र का एक सेट(एक नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एवं गणना शीट(एक नग)


(श्याम चैतन यदव)
वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी
दिनांक: 1-8-2017

पृ0सं0:- 2287. / उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र, श्रमायुक्त कार्यालय बेगमपुल, मेरठ।


वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी



संख्या 822/नि0प्रा0-10/2016-17/वा0नि0-1-मेरठ

दिनांक 30/3/17

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री विपिन कुमार अग्रवाल
एच-175, शास्त्री नगर
मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-53/5, सेक्टर-5 योजना सं0-8, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-53/5, सेक्टर-5 योजना सं0-6 जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27-3-2017 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 30/3/17 से 29/3/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों एवं ममटी हेतु 420.71 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 328.24 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
11. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना अनिवार्य होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

कमशः—2

(2)

15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले टीनशेड हटाना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: मानचित्र का एक सेट।



(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 30/3/17

पृ0सं0:- 822 / उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।



वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी



संख्या 2108/नि0प्रा0-6/2016-17/वा0नि0-1-मेरठ

दिनांक 19-7-16

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री हृदेश चौधरी पुत्र श्री रविनन्दन सिंह
निवासी-143/4 जागृति विहार
मेरठ।विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-49/5, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-49/5, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11-7-2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 19-7-16 से 18-7-2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों हेतु 311.28 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 238.44 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं0 3751/9-आ0-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।

कमशः--2


14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।


(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी
दिनांक: 19-7-16.

पृ०सं०:- 210 व / उक्त /

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
 3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
 4. उप श्रमायुक्त, उ० प्र० मेरठ क्षेत्र, मेरठ।


वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-प्रथम
नीलगिरी काम्पलेक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



दिनांक 8/11/16.

संख्या 4213/नि0प्रा0-7/2016-17/वा0नि0-1-मेरठ

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती दीपिका एवं श्रीमती अंजना
द्वारा मुख्तार-ए-आम श्री प्रेम कुमार त्यागी
के-9, शास्त्री नगर, मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी0पी0-121/6, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी0पी0-121/6, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 8/11/16 से 7/11/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल+2+ममटी तलों हेतु 442.79 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 349.80 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

कमश:-2

(2)

15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: मानचित्र का एक सेट।


8/11/16

8/11/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 8/11/16


पृ0सं0:- 4213 /उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
5. श्रीमती दीपिका पत्नी श्री मोहित कुमार, 443/2 शास्त्री नगर, मेरठ।
6. श्रीमती अंजना पत्नी स्व0 श्री हिमांशु 468/2 शास्त्री नगर, मेरठ।


9/11/16

8/11/16


8/11/16
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी